:: आ दे श ::

अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 रुद्रप्रयाग द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनी के अन्तर्गत तिलवाडा–तोलब–मयकोटी व मयकोटी–डॉगी गुनाऊ हल्का मोटर मार्ग के निर्माण हेतु हस्तान्तरित वन भूमि के बदले वानिकी कार्यो हेतु वन विभाग को दोगुने भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि हस्तान्तरित करने का अनुरोध किया गया है। शासनादेश संख्या– 2491/पी 03–14 /यू0आर.आर.डी.ए./10 दिनांक 18 मार्च 2010 के द्वारा उक्त मोटर मार्ग निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त प्रकरण पर तहसीलदार रुद्रप्रयाग ने पत्रांक– 03/र0का0/विविध/2019 दिनांक 04 जुलाई 2019 से अवगत कराया है कि, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र सतेराखाल/चोपता के अर्न्तगत राजस्व ग्राम तोलब की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या–22 खसरा नं0– 1455 रक्वा 5.760 मध्ये 4.750 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित की गयी है, तथा चयनित भूमि के अभिलेख प्रस्तुत कर वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित करने हेतु अपनी रिर्पोट प्रस्तुत की गयी है।

अतः शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 राजस्व अनुभाग–02 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 में प्रदत्त अधिकारों के अनुसार तहसीलदार रुद्रप्रयाग के द्वारा राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र सतेराखाल/ चोपता के अर्न्तगत राजस्व ग्राम तोलब की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या–22 खसरा नं0–1455 रक्वा 5.760 मध्ये रक्वा 4.750 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित कर प्रस्तावित भूमि उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग हस्तान्तरित करने हेतु रिर्पोट दी गयी है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र सतेराखाल/ चोपता के अर्न्तगत राजस्व ग्राम तोलब की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या–22 खसरा नं0–1455 रक्वा 5.760 मध्ये रक्वा 4.750 चयनित भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग हस्तान्तरित करने स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ह0/–
(मंगेश घिल्डियाल)
जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

संख्या–4306 /छब्बीस–23 /2017–18 दिनांकः रुद्रप्रयागः जुलाई 8 , 2019.

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर प्रमुख वन संरक्षक, नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्द्रानगर फौरेस्ट कालौनी उत्तराखण्ड देहरादून।
2– सचिव, राजस्व विभाग अनुभाग–02 उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3– अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–04 उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
4– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– आयुक्त, गढवाल मण्डल पौडी।
6– उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग।
7– उप जिलाधिकारी/तहसीलदार रुद्रप्रयाग को उक्तानुसार कार्यवाही कर शीघ्र खतौनी की नकल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
8– अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 रुद्रप्रयाग।

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग।

खतौनी नकल – ग्राम तोलब रा० उ० [illegible] सतेपरखाल तहसील

जनपद: [illegible]

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
श्रेणी 3(क) - ख - 2 - अन्य कारणों की झाड़ियों के समूह —														
22.	झाड़ी		985	0.045	केमी में									
			1225	0.055	"									
			1435	0.050	खोगीर									
			1436	1.010	खोगीर									
			1439	1.1005	"									
			1440	1.100	"									
			1443	0.205	"									
			1454	0.420	रैंकापाली									
			1455	5.760										
योग	—	—	35	23.620										

मु० आदेश श्रीमान जिलाधिकारी/कलेक्टर महोदय [illegible] के आदेश सं० 4306/ [illegible]-23/2017-18 दि० [illegible] जुलाई 8, 2019 के क्रम में ग्राम तोलब की ना०वि० स० खतौनी खाता सं०-22 खसरा नम्बर 1455 रकबा 5.760 हे० में से रकबा 4.250 हे० भूमि [illegible] हेतु [illegible] के नाम [illegible] खतौनी में अमल दरामद किया।

(हस्ताक्षर)

रा० उ० नि० / [illegible]

[illegible] सतेपरखाल

(हस्ताक्षर)